प्रतिबंधित दिन मंगलवार को खुली मीट की दुकानें, निगम ने की सीज

300 किलो मछलियां की जब्त

जयपुर। हेरिटेज नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं, 22 गोदाम क्षेत्र में एक ट्रक में लाई गई 300 किलो अवैध मछली नष्ट की गई है।

यह पूरा अभियान हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर चलाया गया, जिसकी अगुवाई सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने की। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर मंगलवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त जब रेलवे स्टेशन हसनपुरा क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद मीट की दुकानें संचालित हो रही थीं, जो निगम के नियमों का खुला उल्लंघन था। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा को मौके पर बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना लाइसेंस संचालित दो दुकानों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। यह दुकानें पूर्व में भी नियम उल्लंघन के चलते चिन्हित की जा चुकी थीं।

नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा ने संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया।

इसके बाद उपायुक्त सुनील बैरवा ने डीएलबी कार्यालय के समीप 22 गोदाम पुलिया के नीचे स्थित अनियंत्रित मछली मार्केट का भी औचक निरीक्षण किया, जहां अवैध रूप से बड़ी मात्रा में मछली लाई जा रही थी। इस दौरान लगभग 300 किलो मछली जब्त की गई, जो बिना किसी स्वास्थ्य परीक्षण और स्वीकृति के बाजार में लाई गई थी। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि अवैध मांस और मछली विक्रय शहर की स्वच्छता व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मंगलवार को सरकार द्वारा मीट मछली की दुकानों पर पाबंदी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाइयों को जारी रखेगा। इस दौरान निगम आयुक्त ने आमजन से अपील की कि वे ऐसे अवैध व्यापार की सूचना तुरंत निगम प्रशासन को दें, ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं, आमजन ने निगम की इस तत्परता और सख्ती की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था पर लगाम लगेगी और स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण की दिशा में ठोस कदम बढ़ेगा।

■ हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर सिविल लाइन जोन की कार्रवाई

ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता गिरफ्तार

■ पौरव कालेर निवासी छापर जिला चूरू ने सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से आरोपित संगीता बिश्नोई को परीक्षा केन्द्र में ब्ल्यूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने कार्रवाई करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर वीके सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक,सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (2022) 12 मार्च 2023 एवं 19 मार्च 2023 को दिन में समय 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी। आरोपित संगीता बिश्नोई का परीक्षा 19 मार्च 2023 को परीक्षा केन्द्र आरएनबी यूनिवर्सिटी बीकानेर (राजस्थान) था। संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपित पौरव कालेर निवासी छापर

जिला चूरू ने सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से आरोपित संगीता बिश्नोई को परीक्षा केन्द्र में ब्ल्यूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी ।संगीता बिश्नोई उक्त सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा में नकल कर उर्तीण हो गई थी एवं धोखाधडी पूर्वक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर चयनित हो गई थी । आरोपित संगीता बिश्नोई वर्तमान में न्यायालय- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी जिला पाली में पदस्थापित है। कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर धोखाधड़ी पूर्वक चयनित होने पर आरोपित संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है।

बीस ग्राम स्मैक सहित एक आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए बीस ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि

■ मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए बीस ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित मोहम्मद इरफान निवासी संजय नगर भट्टा बस्ती जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपित से अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के बारे में जानकारी कर रही है।

ताल कटोरा की पाल पर खिलाए जाएंगे पारंपरिक खेल

जयपुर। हेरिटेज निगम की ओर से तीज महोत्सव आयोजन के तहत इस बार शहरवासियों को पारंपरिक खेल भी खिलाए जाएंगे। जिसके लिए हेरिटेज निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में हेरिटेज निगम की सांस्कृतिक समिति चेयरमैन ज्योति चौहान ने बताया कि हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में पारंपरिक तीज त्यौहार पर इस बार नगर निगम हेरिटेज की ओर भव्य आयोजन किए जाएंगे। जिससे शहरवासियों को हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी भी मिलें। इसी के तहत तीन दिवसीय तीज महोत्सव आयोजन में कई विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। 27 जुलाई को शहरवासियों को रुमाल झपट्टा, म्यूजिकल चेयर, खो खो, सितोलिया जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जाएंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कच्ची घोड़ी, केमल कार्ट, राजस्थानी फॉक डांस और सावन के गीतों की परफॉर्मेंस दी जाएगी। इससे पहले तीज माता की सवारी का पूजन भी किया जाएगा।

'मुट्ठी भर उम्मीदवारों के लिए 22 लाख के हितों की नहीं ली जा सकती बलि'

■ हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुट्ठी भर उम्मीदवारों के शिकायत के निवारण के लिए देशभर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा को पुनः आयोजित कराने और बोनस अंक देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रोशन यादव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया कि देशभर के 552 शहरों और 14 इंटरनेशनल केन्द्रों में नीट यूजी-2025 परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें सीकर जिले में 98 परीक्षा केन्द्र बनाए गए और 31,787 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान बिजली गुल होने सहित अन्य समस्याओं को लेकर 15 केन्द्रों की परीक्षा प्रभावित हुई और इसमें शामिल 5,390 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान प्रतिकूल प्रभावित हुए। याचिका में कहा गया कि जिले के कई परीक्षा केंद्रों में पांच मिनट से लेकर 28 मिनट तक बिजली गुल रही। इस विफलता के कारण याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ और उन्हें अनावश्यक तनाव झेलना पडा। याचिका में यह भी कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अंक 400 से 600 के बीच आए हैं और अधिकांश याचिकाकर्ता कट ऑफ के करीब थे। यदि परीक्षा में व्यवधान नहीं होता तो वे उच्च अंक प्राप्त कर चयनित होते। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने बताया कि कुल अभ्यर्थियों में से सिर्फ आधा फीसदी अभ्यर्थियों ने ही शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा केवल मुट्ठी भर उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे हैं और 99.5 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा संचालन से संतुष्ठ नजर आए हैं।

इसके अलावा तूफान और खराब मौसम के कारण बिजली गुल होना नियंत्रण से परे था। वहीं मामले में एक कमेटी भी गठित की गई थी। जिसने पाया कि प्रभावित परीक्षा केन्द्रों और सामान्य केंद्रों में परीक्षा के लिए आवंटित अवधि में कोई अंतर नहीं था और ना ही याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

हेरिटेज निगम ने हटाए अतिक्रमण

जयपुर। सड़क और बरामदे पर अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज निगम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने अभियान चलाया। इस दौरान निगम दस्ते ने छोटी चौपड़, चांदपोल, वनस्थली मार्ग, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, 22 गोदाम पुलिया, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी इलाके में अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया।

मानसागर में मछलियों को दाना डालने पर लगेगी पाबंदी

■ 'जल महल की पाल पर अतिक्रमण होने पर की जाएं सख्त कार्रवाई'

जयपुर। जल महल पर सफाई सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हेरिटेज निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस संबंध में हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मानसागर मछलियों को दाना डालने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आयुक्त निगम ने कहा कि जल महल की पाल पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएं और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना राशि वसूल की जाएं। अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सामान जब्त किया जाएं और उसे छोड़ा नहीं जाएं। नहीं मानने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएं। निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जल महल पर सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए गार्डों की संख्या बढ़ाई जाएं और कैमरे से निगरानी भी रखी जाएं। पाल पर बोर्ड लगाकर आमजन को चेतावनी दी जाएं कि जल महल के आस पास किसी भी तरह की गंदगी करने पर भारी जुर्माना वहन करना पड़ेगा।

स्कूल फीस रिवीजन कमेटी को लेकर याचिका निस्तारित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुडे विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी का गठन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिवीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएस छाबा ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वहीं कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिवीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने को कहा है। ऐसे में याचिका को निस्तारित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिवीजनल कमेटी के समक्ष चुनौती दी। वहीं डिवीजनल कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिका में कहा गया कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा दस में डिवीजन कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते नौ साल से इस रिवीजन कमेटी का गठन ही नहीं किया है। जबकि मई, 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा।

11 छायादार पेड लगाने पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति

■ अदालत ने सोसायटी पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मकान मालिक और किराएदार से जुडे मामले में किराएदार सोसायटी को कहा है कि यदि वह आगामी सुनवाई से पूर्व सार्वजनिक जगह पर 11 छायादार पेड लगाकर उसकी देखभाल करती है तो उसे किराया अधिकरण में साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही अदालत ने सोसायटी पर दस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किराया अधिकरण में गवाह पेश करने में याचिकाकर्ता की लापरवाही रही है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार याचिकाकर्ता को इसके लिए अंतिम मौका दिया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता अधिकरण की ओर से तय पेशी पर साक्ष्य पेश करने में असफल रहता है तो उसके बाद याचिकाकर्ता को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए याचिकाकर्ता को 11 पेड लगाने का आदेश दिया जा रहा है।

याचिका में अधिवक्ता केएन शर्मा ने कहा कि उसके खिलाफ किराया अधिकरण, ब्यावर में साल 2019 में बेदखली का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता मामले में एक गवाह महावीर प्रसाद शर्मा की गवाही कराना चाहता था, लेकिन उसकी कैंसर से गत 28 अप्रैल को मौत हो गई। इस पर उसने हंस नाथ यादव की गवाही कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन उसके गोरखपुर में रहने के चलते तय तिथि वह पेश नहीं हो सका।इस पर याचिकाकर्ता ने अधिकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर गवाह पेश करने के लिए अंतिम मौका चाहा, लेकिन अधिकरण ने गत 10 जून को वह प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि यह मुकदमे का महत्वपूर्ण गवाह है। ऐसे में उसका परीक्षण कराने की अनुमति दी जाए। जिसका विरोध करते हुए मकान मालिक की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि बेदखली का मामला 6 साल से लंबित है और याचिकाकर्ता कार्रवाई में देरी करना चाहता है। हाईकोर्ट ने पहले भी प्रकरण को एक माह में निपटाने को कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता की ढिलाई के चलते ऐसा नहीं हो पाया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जुली ने जताया विरोध

जयपुर। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में विरोध की आवाज़ को कुचलना अब एक 'नियम' बन चुका है और असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करना भाजपा की आदत। लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार इस लोकतांत्रिक परंपरा को भी अपराध मान रही है सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह हिरासत में लेना भाजपा की तानाशाही सोच को उजागर करता है।

धौलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिस तरह से दमनकारी कार्रवाई की जा रही है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सीकर, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू और अब धौलपुर में शांतिपूर्ण विरोध करने वाले युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त सैनी ने हिंगोनिया गौशाला का किया निरीक्षण

■ नगर निगम ग्रेटर की पशु प्रबंधन शाखा मिशन मोड पर

■ गत 5 माह में 5 हजार 500 निराश्रित गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र पहुँचाया

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर की पशु प्रबंधन शाखा मिशन मोड पर कार्य कर रही है। आयुक्त डॉ॰ गौरव सैनी ने मंगलवार को हिंगोनिया गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त पशु प्रबंधन, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन सहायक एवं कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मानसून के मध्यनजर रखते हुए गौशाला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से साफ-सफाई, जल निकासी, पशुओं के लिए चारे व चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, सैनी ने नंदीशाला एवं बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया तथा वहाँ रह रहे देशी गोवंश की स्थिति और उनकी देखरेख से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ॰ गौरव सैनी के दिशा निर्देशानुसार पशु प्रबंधन शाखा द्वारा गत 5 माह में नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार से निराश्रित 5 हजार 500 गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजा गया। इसके अतिरिक्त रोगी पशु वाहन (एंबुलेंस) द्वारा लगभग एक हजार गौवंश को उपचार हेतु गौ-पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया के पशु चिकित्सालय में उपचार कराया गया।

जेडीए ने दो स्थानों से अतिक्रमणों को हटाए

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-2 में विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न. 1 की फुटपाथ, सडक सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-7 में टैगोर नगर हनुमन बाटिका अजमेर रोड पर रोड सीमा मे आ रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न. 1 की फुटपाथ, सडक सीमा पर करीब 15 स्थानों पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाये गये थडी, ठेले, टेबल, कुर्सियां, बांस, तम्बूं, तिरपाल, पत्थर की पट्टियां इत्यादि लगाकर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर फुटपाथ, रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

टैगोर नगर हनुमन बाटिका अजमेर रोड पर सडक सीमा मे आ रहे अवैध अतिक्रमण 04 टीनशेडनुमा कोठरी, लेट-बॉथ, बाउन्ड्रीवॉल इत्यादि अवैध निर्माण अतिक्रमणों को निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 23.56 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

■ देशभर में फैला था ठगों का जाल, मुख्य खाताधारक पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 23.56 लाख रुपये ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर जयपुर साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में मुख्य खाताधारक और तीन अन्य सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना को भी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से दबोच लिया है। इस गिरोह का जाल देश के कई बड़े शहरों तक फैला था।

कैसे दिया डिजिटल अरेस्ट का झांसा:- एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 23 मई 2025 का है, जयपुर के एक बुजुर्ग को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी संजय कुमार बताया और कहा कि उनके नाम से खरीदे गए एक मोबाइल का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और अश्लील मैसेज भेजने में हुआ है। उसने दावा किया कि उनके खाते में 2.80 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ठग ने पीड़ित को डराने के लिए उसे कथित सीबीआई अधिकारी रोहित कुमार गुप्ता से बात करवाई और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर एक अदालत का नकली दृश्य भी दिखाया, जिसमें न्यायाधीश गिरफ्तारी के आदेश देते दिख रहे थे। इस जाल में फंसकर पीड़ित ने 26 मई 2025 को अपनी जीवन भर की कमाई में से 23.56 लाख रुपये ठगों द्वारा बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

पुलिस की शानदार कार्रवाई:- साइबर क्राइम पुलिस थाना पर मामला दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार और उप पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार मेवानी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। पुलिस ने तुरंत उस बैंक खाते का विश्लेषण किया, जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए

थे। यह जानकर हैरानी हुई कि 26 मई को एक ही दिन में उस खाते में विभिन्न व्यक्तियों से लगभग 3 करोड़ रुपये आए और तुरंत दूसरे खातों में भेज दिए गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य खाताधारक सुरेश कुमार जाट उर्फ सुरेंद्र निवासी झुंझुनूं हाल दिल्ली को 30 मई को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।

अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा:- सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और इस ठगी में शामिल उसके तीन और सहयोगियों को भी ढूंढ आरोपी ओमप्रकाश उर्फ नितेश निवासी श्रीगंगानगर वंशुल उर्फ आर्यन उर्फ प्रवीण निवासी चूरू और भूपेश फगेड़िया निवासी झुंझुनूं को

प्रोडक्शन वारंट पर सोनीपत जेल से गिरफ्तार कर लिया। अनुसन्धान के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।

इन चारों से पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह का सरगना सनी कुमार है। आसूचना एक तकनीकी मदद से पुलिस टीम जिसमें उप निरीक्षक दामोदर, कांस्टेबल मनोज, सुरेश और किशन शामिल थे, ने आगे की जांच के लिए बेंगलुरु का रुख किया। वहां से सनी कुमार शर्मा पुत्र राजकिशोर शर्मा (26) निवासी हवेली खरगपुर मुंगेर बिहार हाल किराएदार बेंगलुरु, कर्नाटक को भी हिरासत में लिया। जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने हरियाणा के चंडीगढ़, सोनीपत, दिल्ली के रोहिणी, बिहार के पटना और कर्नाटक के बेंगलुरु सहित कई शहरों में इसी तरह की डिजिटल अरेस्ट वारदातों को अंजाम दिया है, जहां इनसे संबंधित अन्य प्रकरण या शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके और ऐसे साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।

60 वर्ष पुराना भूमि विवाद हल

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा- 2025 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पँवालिया के ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास में मंगलवार दिनांक 08.07.2025 को आयोजित शिविर में 73 बीघा कृषि भूमि को लेकर ग्रामवासी गोपाल, दयाल व हरजीराम वगैरह में लगभग 55-60 वर्षो से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उक्त सभी कृषक अभियान में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिम्मतसिंह के समक्ष प्रस्तुत हुए। मौके पर उपखण्ड अधिकारी तथा सरपंच पँवालिया रामराज चौधरी, भू.अ.निरीक्षक विशाल सिंहल तथा पटवारी हल्का राहुल गंगावत के प्रयास स्वरूप उक्त भूमि के विभाजन के लिए सहमति बनी। सभी खातेदार सहमत हुए, जिसमे मौके पर ही सहमति विभाजन स्वीकृत कर राजस्व रिवार्ड में अमलदरामद किया गया। इस अवसर पर समस्त खातेदारों द्वारा वर्षों पुराने विवाद के निस्तारण पर प्रशासन व पंचायत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

जलभराव निस्तारण के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण वर्षा के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं-विशेषतः सड़कों की क्षित और जलभराव-के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

आमजन की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेडीए द्वारा शहरभर में पेच रिपेयर कार्य व जलनिकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि हाल की भारी वर्षा के कारण कई प्रमुख सड़कों पर आमजन को आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, जेडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में पेच रिपेयर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जेडीए की प्राथमिकता शहरवासियों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना है।

केबिनेट मंत्री कुमावत ने सरकारी आवास पर सुनी समस्याएं

■ विधायकों ने भी इलाके समस्याओं से कराया अवगत

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री कुमावत ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रदेशभर से लोग पहुंचे। जनसुनवाई में शिक्षा, चिकित्सा, जल आपूर्ति, पेंशन, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं सहित अनेक विषयों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं।

केबिनेट मंत्री ने हर आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई की पहल कर दी गई। हर सोमवार, मंगलवार व बुधवार को नियमित रूप से होने वाली जनसुनवाई प्रदेश में संवेदनशील सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त नजर आए। इस दौरान विधायक जयदीप बिहाणी, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी एवं जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने मंत्री जोराराम कुमावत से शिष्टाचार भेंट की।